[2018] 4 एससीआर 1003

मदन @ मधु पाटेकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1025) 06 फरवरी, 2018

[एन. वी रमना और एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 - जलने से अप्राकृतिक मृत्यु - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने पीड़ित-मृतका पर मिट्टी का तेल डाला और उसे जिंदा जला दिया - ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा - अपील पर, कहा: नीचे दी गई अदालतें परिस्थितियों और तथ्यों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंची - मृतक का मृत्यु पूर्व बयान विशेष कार्यकारी द्वारा दर्ज किया गया था। ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर द्वारा पीड़ित की फिटनेस स्थिति प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट, जिसने रोगी की जांच करने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया - मृत्यु पूर्व बयान की वास्तविकता पर कोई संदेह नहीं है क्योंकि मृतक ने घटना का वर्णन किया और आरोपी के नाम को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में अपराधी घोषित किया - मामले के उस दृष्टिकोण में, मृतक का मृत्यु पूर्व बयान आरोपी-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है - नीचे दिए गए न्यायालय ने प्रशंसनीय दृष्टिकोण लिया कि आरोपी का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था क्योंकि मृत्यु पूर्व बयान किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं थे और आत्मविश्वास को प्रेरित करते थे - इस प्रकार, दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप का मामला - साक्ष्यअधिनियम, 1872 – एस. 32. मृत्यु पूर्व बयान: मृत्यु पूर्व बयान को खतरनाक प्रकार का साक्ष्य बनाने वाले विचार - चर्चा - मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा करने के लिए अदालत का सतर्क दृष्टिकोण - मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि न हो - अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और केवल तभी उसी पर भरोसा करना चाहिए जब यह अदालत के मन में विश्वास पैदा करता है - यदि मृत्यु पूर्व बयान अदालत के मन में इसकी शुद्धता और वास्तविकता के बारे में कोई संदेह पैदा करता है, इस पर बिना पुष्टि किए सबूतों के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 1003 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर. अपील: विशेष अनुमति याचिका - तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को फिर से खोलना, जब अनुमति दी जाती है - पर चर्चा की गई। अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. नीचे दिए गए न्यायालय मृतक के दो मृत्यु पूर्व बयानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंचे, जिन्हें क्रमश: विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पीडब्ल्यू 12-हेड कांस्टेबल द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्हें डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था। मृत्यु पूर्व बयान इस आशय का था कि पिछली रात यानी घटना की तारीख को मृतक का भोजन पकाने को लेकर आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था और नाराज अपीलकर्ता ने मिट्टी का तेल डालकर उसे माचिस की तीली से आग लगा दी थी। मृत्यु पूर्व दोनों बयान सुसंगत थे और स्पष्ट शब्दों में आरोपी-अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करते थे कि उसने महिला को आग लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। यह तर्क कि मृत्यु पूर्व बयान स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, को इस कारण से महत्व नहीं दिया जा सकता है कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद कानून के अनुसार मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था। [पैरा 8] [1008-B-D]

2. मृत्यु के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक कमजोरी, आत्म-पुष्टि की इच्छा, या किसी अन्य के लिए किसी गलत के लिए जिम्मेदारी को आरोपित करने का स्वभाव, साथ ही यह तथ्य कि घोषणाएं अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती हैं, और अक्सर

प्रमुख प्रश्नों और प्रत्यक्ष सुझावों के जवाब में, और क्रॉस-एग्जामिनेशन का कोई अवसर नहीं होता है: ये सभी विचार ऐसी घोषणाओं को एक खतरनाक प्रकार का सबूत प्रदान करने की साजिश करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए, पूरी तरह से मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषसिद्धि पर विचार करते समय एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यद्यपि कानून का कोई पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए यदि यह अदालत के मन में विश्वास पैदा करता है। भले ही अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह अभियोजन पक्ष के मामले में अपने बयान से मुकर गए और मामूली विसंगतियां हुईं, लेकिन वर्तमान मामले के परिणाम पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे दिए गए न्यायालयों ने प्रत्येक परिस्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन किया और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद केवल उनके समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया। जैसा कि इसन्यायालय ने मदन @ मधु पाटेकर बनाममहाराष्ट्र राज्य भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई मामले में कहा था, तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को विशेष अनुमति द्वारा अपील में तब तक फिर से नहीं खोला जा सकता है जब तक कि यह स्थापित न हो जाए: (1) कि निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं है या (2) यह निष्कर्ष विकृत है, ऐसा होने के कारण कि कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था, भले ही सबूत उसके अंकित मूल्य पर लिया गया हो या

(3) यह निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्षय पर आधारित और निर्मित है, जो साक्षय, यदि दृष्टि से बाहर रखा जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को नकार देगा या इसे काफी हद तक बदनाम या बिगाड़ देगा या

(4) सबूत के कुछ महत्वपूर्ण टुकड़े जो दोषी के पक्ष में संतुलन को झुका देंगे, उनकी अनदेखी की गई है, अवहेलना की गई है, या गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। जबकि मामला इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, खासकर, जब पीडब्ल्यू 1 और 12 के साक्षय पीडब्ल्यू 8 के साक्षय के साथ पुष्टि की जाती है (जिसने मृत्यु पूर्व बयान पर अपने समर्थन की पुष्टि की, जिसने आरोपी की दोषसिद्धि का आधार बनाया)। ऐसी परिस्थितियों में, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को विकृत नहीं माना जा सकता है। [पैरा 11, 14, 15] [1009-सी-ई; 1010-सी-एफ]

राम बिहारी यादव जी । बिहार राज्य और अन्य। (1998) 4 एससीसी 517: [1998] 2 एससीआर 1097; सुरेश चंद्र जाना और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2017 स्केल 697; अतबीर वी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2010) 9 एससीसी 1: [2010] 9 एससीआर 993; पानीबेन वी। गुजरात राज्य (1992) 2 एससीसी 474: [1992] 2 एससीआर 197; पन्नीरसेल्वमबनाम तमिलनाडु राज्य (2008) 17 एससीसी 190: [2008] 8 एससीआर 962; भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई वी। गुजरात राज्य (1983) 3 एससीसी 217: [1983] 3 एससीआर 280 - पर भरोसा किया। वुडकॉक (1789) 168 ईआर 352 – संदर्भित। केस लॉ रेफरेंस [1998] 2 एससीआर 1097 पैरा 11 2017 (8) स्केल 697 पैरा 11 [2010] पर आधारित 9 एससीआर 993 पैरा 12 [1992] पर निर्भर था, 2 एससीआर 197 पैरा 12 [2008] पर भरोसा करता था।

1. आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1025। 1992 की आपराधिक अपील संख्या 462 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 08.06.2010 के निर्णय और आदेश से। अपीलकर्ता की ओर से सुधांशु एस. चौधरी, शकुल आर. घाटोले, सुश्री सुरभि गुलेरिया, अधिवक्ता। निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, प्रतिवादी के वकील। न्यायालय का निर्णय एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया था। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अपीलकर्ता द्वारा 1992 की आपराधिक अपील संख्या 462 में 8 जून, 2010 को बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित द्वारा दायर की गई है, जिसके तहत

उच्च न्यायालय ने 1992 के सत्र मामले संख्या 91 में ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की थी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि आरोपी अपीलकर्ता का घटना की तारीख से पहले पिछले पांच वर्षों से लताबाई (मृतक) के साथ अवैध संबंध था और 13 दिसंबर, 1991 को जब मृतका ने आरोपी के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया, तो उसने नाराज होकर उसे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। चीख-पुकार सुनकर मीराबाई और सत्यभामाबाई (पीडब्ल्यू 7) उसे बचाने के लिए दौड़े। अपीलकर्ता ने भी आग बुझाने में उनका साथ दिया। पड़ोसियों का जमावड़ा देखकर उस हंगामे में आरोपी मौके से भाग गया। इसके बाद पड़ोसियों द्वारा पीड़िता को नासिक के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां अपीलकर्ता को भी भर्ती कराया गया। जयप्रकाश चव्हाण, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू 1) ने लताबाई का मृत्यु पूर्व बयान और अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया। उसी दिन, यानी 14.12.1991 को, पुलिस हेड कांस्टेबल निवरुत्ती बाबूराव गोधाडे (पीडब्ल्यू 12) ने भी लताबाई (मृतक) का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया है।

3. पीएसआई जाधव (पीडब्ल्यू 11) द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 76/91 दर्ज किया गया था। इसके बाद मौके का पंचनामा तैयार किया गया, अपराध स्थल से मिट्टी का तेल टिन, माचिस, साड़ी के टुकड़े, ब्लाउज आदि जैसी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दिनांक 16-12-1991 को पीड़ित लताबाई की जलने के कारण मृत्यु हो गई और आरोपी को 19-1-1992 को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच को आगे बढ़ाते हुए, मृतक के शरीर पर पोस्टमॉर्टम किया गया, रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट (एक्सटी 32) प्राप्त की गई और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था, इसलिए सत्र न्यायाधीश ने पूर्ण सुनवाई की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी/मदन @ मधु पाटेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति] को दोषी ठहराया गया।अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 100/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

4. अपीलकर्ता-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाया। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने लताबाई की जलने से अप्राकृतिक मौत के मामले में आरोपी की मिलीभगत के बारे में उचित संदेह से परे मामला साबित कर दिया है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों से व्यथित होने के बाद, अभियुक्त-अपीलकर्ता हमारे समक्ष अपील में है।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

6. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अदालत को यह समझाने का जोरदार प्रयास किया है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, वास्तव में आरोपी खुद मृतक को बचाने की कोशिश करते हुए 40% जली हुई चोटों का शिकार था। घटना की तारीख पर खुद को जलाने पर मृतका ने हो-हल्ला मचाया, जब आरोपी ने लताबाई के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह उसे बचाने के लिए घर में घुस गया, लेकिन मृतक ने आरोपी को देखकर उसे गले लगा लिया, जिससे वह भी झुलस गया था। वकील ने आगे तर्क दिया कि कथित मृत्यु पूर्व बयान मृतक द्वारा स्वेच्छा से नहीं दिए गए हैं, वे झूठे मामले को थोपने और अपीलकर्ता को फंसाने के इरादे से गढ़े गए हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि अभियोजन पक्ष के मामले पर कई संदेहों के बावजूद, जैसे कि 86% जली हुई चोटों के साथ पीड़ित मृत्यु पूर्व बयान कैसे दे सकता है और क्या मकसद साबित हो गया है और क्या आरोपी का दोष उचित

संदेह से परे साबित हो गया है, नीचे दिए गए न्यायालय मामले को सही तरीके से समझने में विफल रहे हैं और आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित किया है जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार है। अभियोजन पक्ष ने ठोस और विश्वसनीय साक्षय पेश करके, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित कर दिया है और इसलिए अपील के तहत आदेश को इस न्यायालय से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018]

8. दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, हमारा विचार है कि नीचे दिए गए न्यायालय मृतक के दो मृत्युपूर्व बयानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिन्हें क्रमशः विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अनुबंध पी -1) और पीडब्ल्यू 12 - हेड कांस्टेबल (अनुबंध पी -3) द्वारा दर्ज किया गया था, जो डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं। मृत्यु पूर्व बयानों से स्पष्ट है कि मृतक का पिछली रात यानी घटना की तारीख को खाना पकाने को लेकर आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था और नाराज अपीलकर्ता ने मिट्टी का तेल डालकर उसे माचिस की तीली से आग लगा दी थी। मृत्यु पूर्व दिए गए दोनों बयान सुसंगत हैं और स्पष्ट शब्दों में अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं - अपीलकर्ता कि उसने महिला को आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। यह तर्क कि मृत्यु पूर्व बयान स्वेच्छा से नहीं दिए गए हैं, को इस कारण से महत्व नहीं दिया जा सकता है कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद कानून के अनुसार मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया है। कांस्टेबल द्वारा दर्ज किया गया अन्य मृत्यु पूर्व बयान भी खुलासे के संबंध में सुसंगत है और आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है।

9. इससे पहले कि हम मामले का विश्लेषण करें, मृत्यु पूर्व बयान के कुछ पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि हम भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 6, 7 और 32 के तहत मृत्यु पूर्व बयान की स्वीकार्यता का पता लगा सकते हैं कि मृत्यु पूर्व बयान की स्वीकार्यता के नियम का पता किंग वी से लगाया जा सकता है। वुडकॉक, (1789) 168 ईआर 352, जिसे मृत्यु पूर्व बयान के पहलू पर सबसे महत्वपूर्ण मामला कानून माना जाता है, क्योंकि उस मामले में मृतक (सिल्विया) की घोषणा एकमात्र सबूत थी कि उसके साथ क्या हुआ, सिल्विया से आया था। अदालत ने मृत्यु पूर्व बयान के उपयोग और महत्व को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया कि "चरम सीमा में किया जाना चाहिए, जब पार्टी मृत्यु के बिंदु पर है, और जब इस दुनिया की हर आशा चली जाती है: जब झूठ का हर मकसद चुप हो जाता है, और मन सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होता है। अदालत ने आगे कहा कि "इतनी गंभीर, और इतनी भयानक स्थिति को कानून द्वारा एक दायित्व बनाने के रूप में माना जाता है जो न्याय की अदालत में प्रशासित सकारात्मक शपथ द्वारा लगाया जाता है।

10. मृत्यु पूर्व बयान की स्वीकार्यता का नियम अब असंगत नहीं है। एक आपराधिक मामले के निर्णय में, मृत्यु पूर्व बयान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मदन @ मधु पाटेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के कारण के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मृत्यु पूर्व बयान [एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति] साक्षय अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु या किसी भी परिस्थिति के कारण उसकी मृत्यु हुई, ऐसे मामलों में जिनमें मृत्यु का कारण सवालों के घेरे में आता है, प्रासंगिक है। इस बात पर कई बार जोर दिया गया है कि मृत्यु पूर्व बयान सुनी-सुनाई बातों की स्वीकार्यता के खिलाफ नियम का अपवाद है। इस धारणा का पूरा विकास कि मृत्यु पूर्व बयान, सुनी-सुनाई बात नियम के अपवाद के रूप में, औपचारिक दृष्टिकोण पर आधारित है कि साक्षय के कुछ वर्गों का निर्धारण स्वीकार्य या अमान्य है, न कि प्रस्तुत किए गए विशेष साक्षय की स्पष्ट विश्वसनीयता पर।

11. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मृत्यु के निकट आने के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक कमजोरी, आत्म-पुष्टि की इच्छा, या दूसरे के लिए गलत के लिए जिम्मेदारी को आरोपित करने का स्वभाव, साथ ही यह तथ्य कि घोषणाएं अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती हैं, और अक्सर प्रमुख प्रश्नों और प्रत्यक्ष सुझावों के जवाब में, और जिरह का कोई अवसर नहीं है: ये सभी विचार ऐसी घोषणाओं को एक खतरनाक प्रकार का सबूत प्रदान करने की साजिश करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए, इस अदालत ने कई मामलों में चेतावनी दी है कि मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषसिद्धि पर विचार करते समय सतर्क दृष्टिकोण रखें। यद्यपि कानून का कोई पूर्ण प्रावधान नहीं है कि मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए यदि यह अदालत के मन में विश्वास पैदा करता है [देखें: राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य]। (1998) 4 एससीसी 517 और सुरेश चंद्र जाना और अन्य। बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2017 (8) स्केल 697]।

12. इसके अलावा, इस न्यायालय ने लगातार यह निर्धारित किया है कि मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यदि न्यायालय की राय में, यह विश्वास पैदा करता है कि इस तरह की घोषणा करते समय मृतक मन की सही स्थिति में था और कोई ट्यूशन या संकेत नहीं था। यदि मृत्यु पूर्व बयान न्यायालय के मन में इसकी शुद्धता और वास्तविकता के बारे में कोई संदेह पैदा करता है, तो इस पर पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए [यह भी देखें: अथिर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 2010 (9) एससीसी 1, पानीबेन बनाम गुजरात राज्य, 1992 (2) एससीसी 474 और पन्नीरसेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य, 2008 (17) एससीसी 190)।

13. मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर स्थापित कानूनी स्थिति को लागू करते हुए, मृतक का मृत्यु पूर्व बयान (एक्सटी 10) विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू 1) द्वारा 14.12.1991 को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दर्ज किया गया था।

ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर द्वारा पीड़ित की फिटनेस की स्थिति जिसने रोगी की जांच करने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया। मृत्यु पूर्व बयान की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक ने घटना का वर्णन किया है और स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में आरोपी का नाम अपराधी घोषित किया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि तत्काल मामले में मृतक का मृत्यु पूर्व बयान आरोपी-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है।

14. इन परिस्थितियों में, भले ही अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह अभियोजन पक्ष के मामले में अपने बयान से मुकर गए और मामूली विसंगतियां हुईं, लेकिन वर्तमान मामले के परिणाम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे दिए गए न्यायालयों ने प्रत्येक परिस्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद केवल उनके समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया है। जैसा कि इस न्यायालय ने भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 3 एससीसी 217 में कहा था, तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को विशेष अनुमति से अपील में तब तक फिर से नहीं खोला जा सकता है जब तक कि यह स्थापित न हो जाए: (1) कि निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं है या (2) यह निष्कर्ष विकृत है, ऐसा होने के कारण कि कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था, भले ही सबूत उसके अंकित मूल्य पर लिया गया हो या (3) यह निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित और निर्मित है, जो साक्ष्य, यदि दृष्टि से बाहर रखा जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को नकार देगा या इसे काफी हद तक बदनाम या बिगाड़ देगा या (4) सबूत के कुछ महत्वपूर्ण टुकड़े जो दोषी के पक्ष में संतुलन को झुका देंगे, उनकी अनदेखी की गई है, अवहेलना की गई है, या गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।

15. जबकि मामला उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, खासकर, जब पीडब्ल्यू 1 और 12 के साक्षय पीडब्ल्यू 8 (डॉ कोटकर) के साक्षय के साथ पुष्टि की जाती है, जिन्होंने मृत्यु पूर्व बयान (अनुच्छेद 10) पर अपने समर्थन की पुष्टि की, जिसने आरोपी की दोषसिद्धि का आधार बनाया। ऐसी परिस्थितियों में, हम ट्रायल कोर्ट और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को विकृत नहीं पाते हैं। नीचे दिए गए न्यायालयों ने प्रशंसनीय दृष्टिकोण अपनाया है कि आरोपी का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है क्योंकि पीडब्ल्यू 1 और 12 द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं थे और वे विश्वास को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार, सभी पूर्वगामी कारणों से, हमें ऐसा कोई आधार नहीं दिखता है जिसके लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के साथ हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसलिए, अपील विफल हो जाती है और खारिज किए जाने के योग्य है।

16. अंत में, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने एक दलील दी कि अपीलकर्ता एक कट्टर अपराधी नहीं है, वह एक गरीब मदन @ मधु पाटेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [एन. वी. रमना, जे.] राजमिस्त्री की पत्नी और बच्चे हैं और वह 40% झुलस गया है। इसलिए, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अपीलकर्ता के मामले पर सरकार द्वारा छूट के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। हमारे विचार में, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करे या नहीं। लेकिन इस स्तर पर हम अपीलकर्ता को इस आधार पर कोई राहत नहीं दे सकते।

17. तदनुसार अपील निरस्त की जाती है।

देविका गुजराल की अपील निरस्त।

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2023.10.21 14:41:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court